विचार बिन्दु

पछतावा हृदय की वेदना है और निर्मल जीवन का उदय। –शेक्सपियर

बाजार में नकली, घटिया और मिलावटी दवाओं का बोलबाला

आम आदमी अंग्रेजी दवाओं के सेवन को लेकर आजकल भयाक्रांत है। वह डॉक्टर के पर्चे पर जो दवा लेने जाता है तो इस विश्वास के साथ खरीदता है कि उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। मगर साधारण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां भी हफ़्तों ठीक नहीं होती तो उसे दवाओं की गुणवत्ता पर संदेह होना स्वाभाविक है। इस पर जब आये दिन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की दवाओं के सैंपल फेल होने की जानकारी अख़बारों से मिलती है तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। जब तक दवाओं के सैंपल फेल होने की रिपोर्टें मिलती है तब तक ये दवाएं बाजार में बिक चुकी होती है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, अक्सर ऐसा होता आया है। कहने का अर्थ है आग में घी डालने की बात यहाँ चरितार्थ होती है। हर माह औषधि नियंत्रण संगठन से देशभर में सौ से अधिक दवाओं के अमानक घोषित होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिलती है। साल भर की गिनती करें तो यह संख्या हज़ारों में होती है। इसका सीधा मतलब है बाज़ारों में नकली घटिया और मिलावटी दवाएं प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है।

भारत में नकली, घटिया और अवैध दवाओं का धंधा तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से रोगियों की जान जोखिम में है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो दवाएं धोखाधड़ी से निर्मित या पैक की गई हैं, उन्हें नकली और घटिया दवाएं कहा जाता है क्योंकि उनमें या तो सक्रिय अवयवों की कमी होती है या गलत खुराक होती है। देश में बनने वाली अंग्रेजी दवाएं पिछले कुछ सालों से अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में हैं। देश में आये दिन घटिया, मिलावटी और नकली दवाओं के जखीरे पकड़े जा रहे है जो साबित करते है आमजन का स्वास्थ्य खतरे में है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नियमित निगरानी गतिविधि के तहत जून 26 के ड्रग अलर्ट में देशभर की 159 दवाएं एवं कास्मेटिक सैंपल फेल हुए हैं। इनमें 132 सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 27 केंद्रीय प्रयोगशालाओं की जांच में गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक एंटीबायोटिक, हृदय रोग, दर्द एवं बुखार, बच्चों के सीरप, खांसी, पेट, आंखों की दवाओं सहित इंजेक्शन तथा विटामिन उत्पादों के सैंपल फेल पाए गए हैं। अधिकांश दवाएं डिसाल्यूशन, कंटेंट, एस्से, स्टेरिलिटी, पीएच, पार्टिकुलेट मैटर तथा सक्रिय औषधीय तत्व (एपीआइ) की निर्धारित मात्रा जैसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों पर असफल रहीं। जून के ड्रग अलर्ट में हिमाचल में बनीं 45, उत्तराखंड की 30 और गुजरात की 28, मध्य प्रदेश के 13, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व सिक्किम की सात-सात दवाओं के सैंपल फेल मिले हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, असम सहित अन्य राज्यों से भी कुछ दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। ये दवाएं अलग-अलग राज्यों से बाजार में उपलब्ध थीं और मरीजों तक पहुँच चुकी थीं। इस भांति साल भर में सैंकड़ों दवाएं जाँच में फेल हो चुकी है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीघ्र ही भारतीय दवा बाजार 60.9 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी। आज के इस समय में नकली दवाइयां भी खूब मिलने लग गई हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बाजार में नकली दवाइयों की बिक्री बढ़ गई है। बाजारों-अस्पतालों में घटिया और नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नकली और घटिया दवाएं बनाने की सबसे अधिक कंपनियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में है। इनमें से बहुत सी ऐसी कंपनियां सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई का ठेका लेती हैं। नकली दवाओं का सेवन करने से आपके शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन वेबसाइट से दवाओं को खरीदते हैं तो इस स्थिति में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। घटिया और नकली दवाओं को बनाना-बेचना भ्रष्टाचार ही नहीं हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ऐसे में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाकर ही नकली और मिलावटी दवाओं से निजात मिलेगी।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नियमित निगरानी गतिविधि के तहत जून 26 के ड्रग अलर्ट में देशभर की 159 दवाएं एवं कास्मेटिक सैंपल फेल हुए हैं। इनमें 132 सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 27 केंद्रीय प्रयोगशालाओं की जांच में गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक एंटीबायोटिक, हृदय रोग, दर्द एवं बुखार, बच्चों के सीरप, खांसी, पेट, आंखों की दवाओं सहित इंजेक्शन तथा विटामिन उत्पादों के सैंपल फेल पाए गए हैं।

गंभीर बीमारियों की छोड़िये, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, एसीडीटी, रक्तचाप और गैस आदि भी यदि अंग्रेजी दवाओं से ठीक नहीं हो रही है तो आप सावधान हो जाइये क्योंकि इन दवाओं के नकली और घटिया होने का खतरा मंडरा रहा है। अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया है कि देशभर में नकली और घटियां दवाओं का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है जिसका पुख्ता प्रमाण सरकारी एजेंसियों की छापामारी से मिल रहा है। जाँच में ये दवाइयां नकली निकल रही है जो जनता के स्वास्थ्य से सरेआम खिलवाड़ है। आम आदमी जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट की ख़बरों से खासा परेशान है। हमारे बीच यह धारणा पुख्ता बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली अंग्रेजी दवाओं में कुछ न कुछ मिलावट जरूर है। लोगों की यह चिंता बेबुनियाद नहीं है। ये दवाएं नामी ब्रांडेड कंपनियों की पैकेजिंग में बेची जा रही हैं। देशभर में हर दूसरे या तीसरे दिन खबरें छपती रहती है कि इतने करोड़ की नकली दवाई पकड़ी गयी। इतनी दवाओं को नष्ट किया गया या सील किया गया। इसके बावजूद नकली दवाओं का धंधा बजाय कम होने के बढ़ता ही जा रहा है।

भारत दवाओं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है। मगर देशवासियों को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक, भारत में फार्मा इंडस्ट्री बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। इसमें साल 2020 से 2025 के बीच 37 प्रतिशत कंपाउंडएनुअल ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक मात्रा में दवाइयां बनाने में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश में सबसे तेज गति से बढ़ रहे इस कारोबार के 55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ ही नकली और घटिया की दवाओं का अवैध कारोबार भी बढ़ रहा है जिससे लोगों की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में देश में बनने वाली कुल दवाओं का 25 प्रतिशत नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाएं बनने और बिकने का खुलासा किया था, जो विश्व की कुल नकली दवाओं का 35 प्रतिशत है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विभिन्न देशों में नकली दवाओं का कारोबार लगभग तीस अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

–अतिथि सम्पादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

एंटी पेपर लीक कानून : निवारक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि दंडात्मक अधिनियम

प्रोफेसर अशोक कुमार

भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं केवल किसी नौकरी या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का माध्यम भर नहीं हैं, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और वर्षों की हाड़-तोड़ मेहनत से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का पर्चा लीक होता है, तो केवल एक परीक्षा की शुचिता भंग नहीं होती, बल्कि लाखों परिवारों का भरोसा टूटता है। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने के लिए लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वाले भू-माफिया, गिरोहों और धांधली में शामिल एजेंसियों पर नकेल कसना है।

हालांकि, यदि इस अधिनियम के स्वरूप, संरचना और धाराओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है: क्या यह कानून वास्तव में पेपर लीक की रोकथाम करता है या यह महज अपराध घटित होने के बाद अपराधियों को सजा देने वाला एक दंडात्मक संशोधन अधिनियम भर है?

नाम बनाम वास्तविकता : निवारण का दावा, दंड का प्रावधान, कानून का नाम रोकथाम शब्द को रेखांकित करता है, लेकिन इसके मुख्य प्रावधान घटना होने के बाद ही सक्रिय होते हैं: भारी-भरकम सजा और जुर्माना: इस कानून में दोषियों के लिए 5 से 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध में शामिल सिंडिकेट को निशाना बनाने के लिए न्यूनतम 7 साल की सजा तय की गई है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और जांच की समय-सीमा: जांच को 60 दिनों में पूरा करने, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालती प्रक्रिया और संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई है।

यह पूरा कानूनी ढांचा "अपराध हो जाने के बाद न्याय प्रक्रिया को तेज़ और कठोर बनाने" के सिद्धांत पर आधारित है। कानून का यह स्वरूप अपराधी के मन में डर पैदा कर सकता है, लेकिन यह उस प्रक्रियात्मक छेद को बंद नहीं करता जहाँ से वास्तव में पेपर बाहर निकलता है। इसलिए, इसे निवारक कानून कहने के बजाय दंडात्मक संशोधन अधिनियम कहना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है।

पेपर खरीदने वालों (लाभार्थियों) की जवाबदेही और सजा का प्रावधान, कानून की दंडात्मक प्रकृति को पूर्ण बनाने और मांग-आपूर्ति की इस अवैध श्रृंखला को तोड़ने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पर्चा खरीदने वाले अभ्यर्थियों पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पेपर लीक केवल माफिया या संगठित गिरोहों के बलबूते नहीं चलता; इसे बढ़ावा देने में उन लोगों की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है जो पैसे देकर पेपर खरीदते हैं। जब तक खरीददारके मन में कानूनी कार्रवाई का भय नहीं होगा, तब तक इस अवैध बाजार का खत्म होना नामुमकिन है।

कानून में निम्नलिखित सख्त प्रावधान होने चाहिए:–

समान दंडात्मक कार्रवाई: जो अभ्यर्थी या उनके अभिभावक अनुचित लाभ लेने के लिए प्रश्नपत्र खरीदते हैं, उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें जेल की सजा (जैसे 3 से 5 वर्ष का कारावास) का प्रावधान होना चाहिए।आजीवन या दीर्घकालिक प्रतिबंध: ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल उस विशिष्ट परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाए, बल्कि भविष्य में आयोजित होने वाली सभी सरकारी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं से कम से कम 5 से 10 वर्षों के लिए (या आजीवन) निष्कासित कर दिया जाए।

अवैध रूप से प्राप्त नौकरी को रद्द करना: यदि कोई व्यक्ति पेपर खरीदकर नौकरी पाने में सफल भी हो जाता है, तो जांच में पुष्टि होने पर उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, उसका वेतन वसूला जाए और उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाए।

जब तक पेपर बेचने वालों के साथ-साथ पेपर खरीदने वालों पर भी दंडात्मक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक इस अपराध का आर्थिक चक्र टूट नहीं सकता।

प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षात्मक उपायों की अनदेखी

पेपर लीक को रोकने के लिए जिस बुनियादी ढांचेकी आवश्यकता होती है, वह प्रशासनिक सुधारों से आती है, न कि केवल जेल की सजा बढ़ाने से। वर्तमान कानून में निम्नलिखित निवारक उपायों का अभाव दिखता है:–

प्रिंटिंग प्रेस और लॉजिस्टिक्स की जवाबदेही: प्रश्नपत्र कहाँ छपते हैं, किस वाहन से केंद्रों तक पहुँचते हैं और उन्हें किन तिजोरियों में रखा जाता है–इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानून में किसी कड़े मानक संचालन प्रक्रिया का ज़िक्र नहीं है।

आउटसोर्सिंग पर निर्भरता: हाल के वर्षों में अधिकांश पेपर लीक उन निजी वेंडरों और आईटी एजेंसियों की वजह से हुए हैं जिन्हें परीक्षाएं आयोजित कराने का ठेका दिया गया था। केवल उन पर जुर्माना लगाना निवारण नहीं है; परीक्षा तंत्र को सरकारी और पारदर्शी निकायों के तहत वापस लाना असली सुरक्षात्मक कदम होता।

साइबर सुरक्षा व डिजिटल ऑडिट: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रिमोट एक्सेस या हैकिंग जैसे खतरों से निपटने के लिए रैंडम सॉफ़्टवेयर ऑडिट, बायोमीट्रिक सिस्टम और एन्क्रिप्शन मानकों के कड़े नियम कानून का हिस्सा होने चाहिए थे।

छात्रों के नजरिए से: सजा से ज्यादा जरूरी है परीक्षा का बचना, एक अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि पेपर लीक करने वाला 10 साल के लिए जेल गया या नहीं, बल्कि त्रासदी यह है कि उसकी 3-4 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई और परीक्षा रद्द हो गई। दंडात्मक कानून का मुख्य ध्यान अपराध हो जाने के बाद अपराधियों की धरपकड़ करने और उन्हें सजा दिलाने पर होता है। इसके तहत पूरा मामला लंबी मुकदमेबाजी और जटिल अदालती प्रक्रियाओं में उलझकर रह जाता है, जिससे समय की भारी बर्बादी होती है।

इसके विपरीत, एक मजबूत निवारक ढांचा परीक्षा प्रक्रिया को तकनीक और कड़े नियमों के ज़रिए इतना अभेद्य बना देता है कि पेपर लीक होने की नौबत ही न आए। दंडात्मक कानून परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता, जबकि एक निवारक ढांचा पूरी परीक्षा प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करता है।

दंडात्मक कानून से निवारक अधिनियम बनने का मार्ग

यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि इस कानून का नाम इसका सच्चा प्रतिनिधित्व करे, तो इसमें कठोर सजा के साथ-साथ रोकथाम के लिए निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान जोड़े जाने अनिवार्य हैं:

इंडिपेंडेंट ऑडिट अथॉरिटी: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरणका गठन किया जाए, जो हर बड़ी परीक्षा से पहले सुरक्षा ऑडिट की मंज़ूरी दे।

व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन: परीक्षा एजेंसियों, प्रिंटिंग प्रेस या सरकारी विभागों के भीतर यदि कोई कर्मचारी धांधली की पूर्व सूचना देता है, तो उसकी सुरक्षा और इनाम का स्पष्ट कानूनी प्रावधान हो।

मानकीकृत डिजिटल एन्क्रिप्शन: प्रश्नपत्रों को परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही डिजिटल रूप से डिक्रिप्ट करने वाली तकनीक को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए।

निष्कर्ष– संक्षेप में कहा जाए तो, वर्तमान एंटी पेपर लीक अधिनियम अपराध के बाद की चिकित्सापर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि देश को आवश्यकता अपराध से बचाव की है।

कठोर सजाएं, भारी जुर्माने और पेपर खरीदने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई संगठित अपराध गिरोहों व भ्रष्ट अभ्यर्थियों को डराने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन जब तक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की प्रक्रियात्मक कमियों, वेंडर-संस्कृति और तकनीकी खामियों को कानूनी रूप से दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक पेपर लीक पूरी तरह बंद नहीं होंगे। जब तक यह अंतर बना रहेगा, तब तक इसे निवारक अधिनियम कहना अधूरा होगा–यह सही मायने में एक दंडात्मक संशोधन अधिनियम ही है।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

विराटनगर पुलिस ने सुरक्षा सखी से राखी बंधवाई

रक्षाबंधन के अवसर पर भाईचारे और सुरक्षा का संदेश दिया

विराटनगर पुलिस ने सुरक्षा सखी को थाने आमंत्रित किया।

पावटा, (निसं)। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विराटनगर पुलिस ने सामाजिक सरोकार से जुड़ी अनूठी पहल करते हुए पुलिस और आमजन के बीच आत्मीयता की डोर को और मजबूत किया। रक्षाबंधन के अवसर पर सुरक्षा सखी को थाने आमंत्रित किया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने उनसे राखी बंधवाकर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व मनाया।

सुरक्षा सखी ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी सुरक्षा सखी को पर्व की बधाई देते हुए सदैव सम्मान और सहयोग का भरोसा दिलाया। थाने में हुए इस आत्मीय आयोजन से कुछ देर के लिए पुलिस थाने का माहौल भी खुशनुमा और पारिवारिक नजर आया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के स्नेह का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा, जिम्मेदारी और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का संदेश भी देता है। पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और सुरक्षा सखी जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं एवं आमजन के साथ संवाद और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। विराटनगर पुलिस की इस पहल को क्षेत्रवासियों ने भी सराहनीय बताया। लोगों का कहना है कि त्योहार के अवसर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी को थाने बुलाकर राखी बंधवाना पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने के साथ-साथ भाईचारे, सामाजिक समरसता और महिला सुरक्षा के प्रति विश्वास का मजबूत संदेश देता है। रक्षाबंधन के मौके पर विराटनगर पुलिस का यह प्रयास न केवल पर्व की खुशियां साझा करने वाला रहा, बल्कि सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता का संदेश भी समाज तक पहुंचाता नजर आया।

भीलवाड़ा सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर बहनों ने भाई को राखी बांधी

प्रशासन ने इस बार भी जेल के भीतर केवल राखी ले जाने की ही छूट दी

- जेल अधिकारियों के अनुसार, बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई
- जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत बहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही भाइयों से मुलाकात और राखी बांधने का समय दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया

भीलवाड़ा, (निसं)। श्रवण मास की पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को देशभर के साथ-साथ भीलवाड़ा शहर में भी पवित्र पर्व रक्षाबंधन पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भीलवाड़ा की सेंट्रल जेल में एक अत्यंत भावुक और आत्मीय माहौल देखने को मिला, जहां सलाखों के पीछे कैद बंदियों की कलाइयों पर उनकी बहनों ने प्यार और सुरक्षा का प्रतीक रेशमी धागा बांधा। सुबह से ही जेल परिसर के बाहर बहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं।

पिछले वर्ष की भांति इस बार भी जेल प्रशासन द्वारा इस आयोजन को भव्य लेकिन अनुशासित रूप से संपन्न कराने के विशेष प्रबंध किए गए। केंद्रीय जेल के जेलर ने बताया कि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। आने वाली प्रत्येक महिला और उनके साथ आए परिजनों को मेटल डिटेक्टर से गुजरने और गहन शारीरिक तलाशी के बाद ही जेल के भीतर प्रवेश की अनुमति दी गई। जेल परिसर और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहे। जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत बहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही भाइयों से मुलाकात और राखी बांधने का समय दिया गया।

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने इस बार भी जेल के भीतर केवल राखी ले जाने की ही छूट दी। जेल अधिकारियों के अनुसार, बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई।सीजेल के भीतर बने मुलाकात कक्ष में जब बहनें अपने भाइयों से मिलीं, तो वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया। महीनों बाद अपने भाइयों को सामने देखकर कई बहनों की आंखें छलक आईं, वहीं भाइयों ने भी बहनों के सिर पर हाथ रखकर उनकी रक्षा का वचन दिया। समय की पाबंदी के बावजूद इस मुलाकात ने सलाखों के पीछे बंद कैदियों के जीवन में सकारात्मकता और अपनों के जुड़ाव का अहसास कराया। शाम 4 बजे मुलाकात की प्रक्रिया समाप्त होने तक सैकड़ों बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर इस त्यौहार की परंपरा को निभाया।

राशिफल शनिवार 29 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 3:42 तक, सुकर्मा योग प्रात: 6:36 तक, कौलव करण प्रात: 9:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:38 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज त्रिपुष्कर योग दिन 9:57 से रात्रि 3:42 तक है। आज पंचक, अशून्य शयन व्रत, अश्वत्थ मारूती पूजन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:43 से 9:18 तक, चर 12:28 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 5:12 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:47

मेष

घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। आज व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या

आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना बनेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृश्चिक

परिवार में महत्वपूर्ण एवं धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं।

गोगामेड़ी मेले का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ

मेले में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, प्रशासन ने तैयारियां की

जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, विधायक संजीव बेनीवाल एवं पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने पूजा-अर्चना की।

- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत, फायर ब्रिगेड, पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई

नोहर, (निसं)। ग्राम पंचायत मुख्यालय गोगामेड़ी में उत्तर भारत के प्रसिद्ध एवं सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगामेड़ी मेले का शुक्रवार को विधिवत पूजा-अर्चना एवं ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। जिला कलैक्टर डॉ. खुशाल यादव, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल एवं पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया तथा गोगाजी महाराज की समाधि पर चादर चढ़ाकर जिले की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि एक माह तक चलने वाले इस मेले में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत, फायर ब्रिगेड, पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। कतार में लगे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग क्षेत्र के भीतर छह प्रसाद एवं आवश्यक सामग्री की दुकानें स्थापित की गई हैं, ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि मेले को श्रद्धा, सौहार्द और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि गोगामेड़ी मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को साफ-सफाई एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

मेला मजिस्ट्रेट ने बताया कि साफ-सफाई एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सेक्टर में प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। देवस्थान विभाग के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क रैन बसेरे, बड़े डोम, पेयजल, शौचालय, कूलर एवं पंखों की व्यवस्था की गई है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इस बार 255 उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे पूरे मेला क्षेत्र एवं बैरिकेडिंग मार्ग की निगरानी की जाएगी। मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाये रखने के लिए भी विशेष प्रयास किए जायेंगे।

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि मेले में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के लिए 932 से अधिक पुलिसकर्मी, आरएसी, होमगार्ड एवं ट्रैफिक पुलिस का विशेष जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं, देवस्थान विभाग द्वारा 631 अस्थायी दुकानों, पार्किंग एवं मनोरंजन स्थलों के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया भी की गई है। उद्घाटन समारोह में नोहर एसडीएम सुनीता यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, गोगामेड़ी प्रशासक महंत रूपनाथ, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आनंद स्वरूप सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।